रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-08082025-265326
CG-MH-E-08082025-265326

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 496] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 8, 2025/श्रावण 17, 1947
No. 496] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 8, 2025/SHRAVANA 17, 1947

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुम्बई, 8 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 540(अ).— केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपखंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, ये समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, गुजरात राज्य में जिला अहमदाबाद में **गेरतपुर (बारेजडी- नान्देज़)- साणंद के बिच में चौथी लाइन परियोजना (38.20 की.मी)** नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि के कोई हितबद्ध व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में अपनी आपति प्रकटकर सकेगा;

ऐसी प्रत्येक आपति सक्षम प्राधिकारी एवं अतिरिक्त विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, प्रथमतल, आपदा प्रबंधन भवन, महसूल भवन, कलेक्टर ऑफिस, सुभाष ब्रिज सर्कल के पास, अहमदाबाद को लिखित रुप मे किया जाएगा जो कि आक्षेप का आधार होगा। सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रुप से या कानुनी प्रेक्टिशनर के माध्यम से सुनवाई का

अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई और जांच करने के पश्चात्, यदि आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा या तो आपतियों का अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात करेगा

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2)के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की भूमि योजना और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

SCHEDULE

गुजरात राज्य में गेरतपुर (बारेजडी- नान्देज़)- साणंद के बिचमें चौथी लाइन (38.20 कि.मी.) नाम की विशेष रेल परियोजना के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का संरचना के साथ या उसके बिना संक्षिप्त विवरण।

ज़िला : अहमदाबाद

क्रमिक संख्या	तालुका	गाँव	सर्वे नंबर	पैकी सर्वे नंबर	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (Sq.mtr)
1	साणंद	साणंद	882	882/1	निजी	कृषि	2314
				882/2	निजी	कृषि	
						कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर	**2314**
						कुल क्षेत्रफल हेक्टेर	**0.2314**

[फा. सं. E.-607174-15]

डी.आर. चौधरी, मुख्य परियोजना प्रबंधक/निर्माण-III

MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railway (Construction Organisation)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th August, 2025

G.S.R. 540(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, **4TH LINE BETWEEN BAREJADI – NANDEJ (GERATPUR) – SANAND (38.20 KM) IN THE DISTRICT OF AHMEDABAD** in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquired such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(I) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional Special Land Acquisition Officer, First Floor, Disaster Management Building, Collector Office, Near Subhash Bridge Circle, Ahmedabad, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The Land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project: 4th line between GERATPUR (Barejadi-Nandej) – Sanand (38.20 km) in the state of Gujarat.

District : Ahmedabad

Sr. No.	Taluka	Village	Survey No.	Survey No. Paiky No.	Type of Land	Nature of Land	Area to be acquired (sq.mts)
1	Sanand	Sanand	882	882/1	Private Land	Agriculture	2314
				882/2	Private Land	Agriculture	
						Total	**2314**
						Total in Hectares	**0.2314**

[F. No. E.-607174-15]

D. R. CHAUDHARY, Chief project Manager/Construction-III

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.